कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 17.07.2026

□चन्दौली पुलिस को बड़ी कामयाबी थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा लूट और छिनैती का सफल अनावरण, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

□अभियुक्त के कब्जे से नकली पिस्टल और बाइक के साथ लूट का मोबाइल और चेन को बेचकर मिले ₹62,700 कैश बरामद

□नकली पिस्टल से लूट करने वाले पुलिस के चढ़े हत्थे: सैयदराजा पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा

घटनाक्रम- वादी रामनेती सिंह पुत्र स्व0 ओमकार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट जेवरियाबाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 13.7.26 कि भोर मे 02:55 मिनट पर सैयदराजा जमानिया NH24 मुख्य मार्ग से लगे हुए खेत कि सिचाई और जुताई का कार्य करवा रहे थे वादी अपने चाचा के लड़के गुप्तेश्वर सिंह के साथ अपनी गाड़ी TATA PUNCH जिसका नम्बर UP67AM7942 मे सड़क किनारे बेचन बाबा मन्दिर से 100 मिटर उत्तर दिशा मे स्टार्ट करके सोये हुए थे। कि रात लगभग 03.05 AM के करीब दो लडके आये दो बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी का अपनी गाड़ी मे सोते समय वाहन का शीशा ठोकना तथा शीशा नीचे गिराने पर असलहा सटाकर भय मे डालकर कर असलहा की बट से चेहरे पर मारकर गले मे पहना हुआ सोने की चेन को छीन लेने तथा वादी के चचेरे भाई के चिल्लाने पर उसे भी असलहे के बट से मारते हुए हवा मे फायर करते हुए भाग गये। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 218/2026 धारा 309(6) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस की कार्यवाही- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना सैयदराजा के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 218/2026 धारा 309(6) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को दिनांक 17.07.2026 को कस्बा चन्दौली मे पावर हाऊस के पास लूट मे प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं. UP67AQ3621 व एक अदद नकली पिस्टल (तेज आवाज करने वाली) व जामा तलाशी से लूटी गयी चेन को बेचकर प्राप्त की गयी कुल 62,700 रूपये व एक अदद टच स्क्रीन मोबाइल बरामद कर 02 अभियुक्त 1. करन सिंह उर्फ बीरू पुत्र दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम भुवालपुर जेवरियाबाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष, 2. अमन सिंह उर्फ शेरू पुत्र दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम भुवालपुर जेवरियाबाद थाना सैयदराजा जनपद

चन्दौली उम्र 24 वर्ष को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी अभियुक्तगण के पास से लूट की सोने की चैन व लूट मे प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं. UP67AQ3621 व एक अदद नकली पिस्टल (तेज आवाज करने वाली) व जामा तलाशी से लूटी गयी चेन को बेचकर प्राप्त की गयी कुल 62,700 रूपये व एक अदद टच स्क्रीन मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग मु..अ.सं. 218/2026 धारा 309(6) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि उक्त रामनेती सिंह अपनी गाड़ी मे सोते समय वाहन का शीशा ठोकना तथा शीशा नीचे गिराने पर असलहा सटाकर भय मे डालकर कर असलहा की बट से चेहरे पर मारकर गले मे पहना हुआ सोने की चेन को छीन लेने तथा वादी के चचेरे भाई के चिल्लाने पर उसे भी असलहे के बट से मारते हुए हवा मे फायर करते हुए भाग गये थे, तथा किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.करन सिंह उर्फ बीरू पुत्र दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम भुवालपुर जेवरियाबाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष,

2.अमन सिंह उर्फ शेरू पुत्र दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम भुवालपुर जेवरियाबाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त करन सिंह उर्फ बीरू

1.मु.अ.सं. 67/2018 धारा 379/411 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी

2.मु.अ.सं. 661/18 धारा 41/411/414 थाना शिवपुर जनपद वाराणसी

3.मु.अ.सं. 782/18 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना शिवपुर वाराणसी

4.मु.अ.सं. 651/18 धारा 379/411 भादवि थाना कैन्ट वाराणसी

5.मु.अ.सं. 756/18 धारा 379/411 भादवि थाना कैन्ट वाराणसी

6.मु.अ.सं. 834/18 धारा 379/411 थाना कैन्ट वाराणसी ,

7.मु.अ.सं. 97/24 धारा 323/427/504/506 थाना सैयदराजा चन्दौली

8.मु.अ.सं. 144/25 धारा 115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ,

9.मु.अ.सं. 143/26 धारा 115(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस व 3(1)द, 3(2)(VA) थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ,

10.मु.अ.सं. 178/26 धारा 109/115(2)/351(3)/352/191(2) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ,

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन सिंह उर्फ शेरू

1.मु.अ.सं. 30/23 धारा 386/395/419/420/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. मु.अ.सं. 178/26 धारा 109/115(2)/351(3)/352/191(2) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

बरामदगी विवरण-

एक अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं. UP67AQ3621 , एक अदद नकली पिस्टल (तेज आवाज करने वाली) व जामा तलाशी से लूटी गयी चेन को बेचकर प्राप्त की गयी कुल 62,700 रूपये , एक अदद टच स्क्रीन मोबाइल ।